



फ़र्जी वीज़ा एवं माइग्रेशन एजेंसियों के संबंध में परामर्श

भारत का दूतावास, अबू धाबी तथा भारत का कॉन्सुलेट जनरल, दुबई एवं उत्तरी अमीरात को भारतीय नागरिकों से कुछ ऐसी वीज़ा/माइग्रेशन एजेंसियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जो भारत के बाहर (संयुक्त अरब अमीरात सहित) कार्य कर रही हैं। ये एजेंसियाँ सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर दूसरे देशों में नौकरी/निवास वीज़ा दिलाने का दावा करती हैं, आवेदकों से शुल्क लेती हैं, किंतु बाद में न तो सेवा प्रदान करती हैं और न ही पैसे वापस करती हैं।

2. भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे पूरी सावधानी बरतें तथा निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:

- केवल सोशल मीडिया विज्ञापनों के आधार पर निर्णय न लें। निजी वीज़ा एजेंसियों, विशेषकर भारत के बाहर से कार्य करने वाली एजेंसियों, पर बिना जाँचे भरोसा न करें;
- आप जिस देश में जाना चाहते हैं, उस देश के दूतावास/कॉन्सुलेट से, जो आपके निवास वाले देश में स्थित है, वीज़ा की आवश्यकताओं, आवेदन की प्रक्रिया तथा नौकरी/निवास वीज़ा प्राप्त करने के सही और अधिकृत तरीकों के बारे में सीधे पुष्टि करें;
- वीज़ा दिलाने के वादे पर किसी भी प्रकार का भुगतान न करें। कोई भी एजेंसी वीज़ा की गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि वीज़ा देने का निर्णय केवल संबंधित देश की सरकार ही लेती है।

3. वीज़ा की सही और नवीनतम जानकारी के लिए आवेदक किसी एजेंट या बिचौलिए पर निर्भर न रहें, बल्कि हमेशा संबंधित देश की सरकारी/दूतावास वेबसाइट से सीधे जानकारी प्राप्त करें।

**12 अक्टूबर, 2026
अबू धाबी / दुबई**